परियोजना का नामः—मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसुरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियारगढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.520 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(**FP/UK/ROAD/32834/2018**).

बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र / निरीक्षण टिप्पणी

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के लिए नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रस्तावित संरेखण का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रगर वन प्रभाग, राजि आधिकारी, सकलाना राजि व अधीनस्थ स्टाफ कर्मचारी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–24.12.2018 को किया गया जिसमें याचक विभाग के अधिकारी / कर्मचारी भी उपस्थित रहे । प्रश्नगत मोटर हेतु चयनित संरेखण में 2.250 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है जो कि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा चिन्हित संरेखण / स्थल से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है ।

मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 4.775 कि0मी0 जिसमें 3600 मीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.520 हे0 तथा 1175 मीटर लम्बाई में नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.8225 हे0 है, प्रभावित होगी । इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम सौड़ (सनगांव) के ग्रामीण लाभान्वित होगें जिनकी आबादी लगभग 1440 है ।

परियोजना हेतु चयनित संरेखण में विभिन्न व्यास–प्रजाति के आरक्षित वन भूमि में कुल721 वृक्ष प्रभावित होगें जिसमें आरक्षित वन भूमि में बांज–बुरांश के 507 परियोजना के निर्माण से प्रभावित होगें जिनका व्यासवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	भूमि का प्रकार	कम्पार्टमेंट	प्रजति	प्रभावित होने वाले वृक्षों का व्यासवार विवरण						
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि	खुरेत–08	बांज	11	26	13	03	00	00	53
		खुरेत–09	बांज	50	89	103	43	00	00	285
			बुरांश	00	01	00	02	00	00	03
		खुरेत–10	बांज	40	49	52	00	00	00	141
			बुरांश	08	00	08	04	00	00	20
		खुरेत–11	बांज	00	05	00	00	00	00	05
2.	सिविल वन भूमि		बांज / बुरांश	-	-	-	-	-	-	-
3.	नाप भूमि		बांज / बुरांश	-	-	-	-	-	-	-
योग वन भूमि				109	170	176	52	00	00	507

अन्य कोई विकल्प न होने के कारण परियोजना निर्माण हेतु चिन्हित संरेखण में उक्तानुसार बांज / बुरांश के कुल 507 बांज वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है ।

P.TO.

अतः प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु चिन्हित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण में उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है ।

1. मोटर–मार्ग के लिए पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये ।
2. मोटर–मार्ग के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोजल/डम्पिंग यार्ड क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाए ।
3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वन अग्निकाल के दौरान आस–पास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये ।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर–मार्ग हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीव का आखेट न होने पाये । ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
5. उक्त वृक्षों के पातन के फलस्वरूप इसकी क्षतिपूर्ति हेतु ए0एन0आर0 कार्य पारिस्थिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए अतिआवश्यक होगा । प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त ए0एन0आर0 कार्य परियोजना से लगे क्षेत्र में करायेगें ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती बांज/बुरांश वनों के संवर्द्धन एवं विकास हेतु सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ANR) हेतु10.00 हे0 की स्थल विशिष्ट योजना एवं प्रस्तावित मोटर–मार्ग के संरेखण में प्रभावित हो रहे 0–10 सेमी0 व्यासवर्ग के बांज/बुरांश वृक्षों का ट्रांसलोकेशन का प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने व ऑनलाइन भाग–2 मे अपलोड करने का कष्ट करें करें।

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त,उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती

email:cfbhagi-forestuk@nic.in
फोन/फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 1131 / 12-1 मुनिकीरेती, दिनांक–21/01/2019।

प्रतिलिपिः–अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेतीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त,उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती